FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत ......जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर...... मुकाम ......बाड़मेर......

......श्रीमती अल्का गोयल व अन्य...... बनाम ......

किस्म मुकदमा ...... नं. ......59/...... सन् 2024

~~प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 58 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और~~ संरक्षण अधिनियम, ~~2015~~

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-10-24	प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 58 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 वास्ते अनाथ अथवा परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालक (तरूण) का देश के भीतर दत्तकग्रहण पेश किया गया। प्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा अनुसूची–8 में दत्तकग्रहण पूर्व पोषण वचनबद्धता का शपथ–पत्र एवं प्रार्थी सं. 2 द्वारा अनुसूची–XXIII में इस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों एवं दत्तकग्रहण के समर्थन में नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात प्रार्थीगण सं. 1 द्वारा प्रार्थीगण सं. 2 के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दत्तकग्रहण में दिये जाने वाले बालक के पोषण एवं देखभाल में असमर्थता प्रकट की गई तथा निवेदन किया कि वह मानसिक रूप से पूर्ण रूपेण तैयार नहीं हैं। इस पर प्रार्थीगण सं. 1 की काउन्सलिंग करवाई गई। डॉ. अनन्त सचान, क्लीनीकल साइकोलोजिस्ट, राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह बाड़मेर द्वारा काउन्सलिंग के पश्चात उक्त दत्तकग्रहण को निरस्त करने की अभिशंषा की गई। इस पर दत्तकग्रहण समिति द्वारा अभ्यर्पित बालक के फोस्टर केयर को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया तथा प्रार्थीगण सं. 2 ने अपने पत्र क्रमांक 475 दिनांक 02.09.2024 द्वारा यह प्रार्थना–पत्र निरस्त कर आगामी कार्यवाही बन्द किये जाने का निवेदन किया गया। हमने प्रार्थीगण सं. 2 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण सं. 1 के अभ्यावेदन, काउन्सलर की रिपोर्ट, दत्तकग्रहण समिति के आदेश एवं प्रार्थीगण सं. 2 की रिपोर्ट के आधार पर दत्तकग्रहण में दिये जाने वाले बालक के सर्वोतम हित को मद्देनजर रखते हुए यह प्रार्थना–पत्र इसी प्रक्रम में खारिज किया जाता हैं। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर Signature Not Verified Digitally signed by Tina Dabi Date: 2025.01.28 15:58:29 IST Reason: SelfAttested	